



कृषि विभाग  
उद्यान निदेशालय  
(राज्य बागवानी मिशन)

बिहार राज्य के सभी जिलों में बागवानी उत्पादों के उत्पादन, संग्रहण, भण्डारण, प्रसंस्करण एवं आधारभूत बाजार संरचना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। उद्यान निदेशालय (राज्य बागवानी मिशन, बिहार) द्वारा बागवानी उत्पादों को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नांकित कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	भौतिक संख्या	लागत व्यय प्रति इकाई	सहायतानुदान प्रति इकाई (राशि लाख में)
1	संग्रहण, छँटनी, ग्रेडिंग, पैकेजिंग के लिए आधारभूत संरचना	20	₹15 लाख प्रति इकाई	₹13.50
2	क्वालिटी कन्ट्रोल लैब (निजी क्षेत्र)	1	₹200 लाख प्रति इकाई	₹100.00
3	रेफ्रिजरेटेड भान	3	₹24 लाख प्रति इकाई	₹21.60
4	कोल्ड स्टोरेज	4	₹300 लाख प्रति इकाई	₹120.00
5	ग्रामीण बाजार/अपनी मंडी	35	₹20 लाख प्रति इकाई	₹18.00
6	पैक हाउस	102	₹3 लाख प्रति इकाई	₹2.70
7	ए.सी. रिटेल आउटलेट	20	₹10 लाख प्रति इकाई	₹09.00
8	उत्तक प्रवर्धन प्रयोगशाला (टी.सी. लैब)	1	₹100 लाख प्रति इकाई	₹50.00
9	स्पॉन एवं कम्पोस्ट उत्पादन तथा प्रशिक्षण हेतु समेकित मशरूम इकाई	5	₹50 लाख प्रति इकाई	₹45.00
10	मशरूम स्पॉन उत्पादन इकाई	8	₹15 लाख प्रति इकाई	₹13.50
11	मशरूम कम्पोस्ट उत्पादन इकाई	6	₹20 लाख प्रति इकाई	₹18.00
12	बम्बू बाजार	6	₹27 लाख प्रति इकाई	₹6.75
13	बाँस उत्पादक ग्राम के समीप थोक एवं खुदरा मण्डी की स्थापना	9	₹16 लाख प्रति इकाई	₹14.40
14	डिजीज फोरकास्टिंग इकाई	1	₹8 लाख प्रति इकाई	₹4.00
15	पौधा स्वास्थ्य केन्द्र (प्लांट हेल्थ क्लिनिक)	1	₹20 लाख प्रति इकाई	₹10.00
16	आसवन इकाई (डिस्टिलेशन यूनिट)	20	₹5 लाख प्रति इकाई	₹4.50
17	प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई	20	₹24 लाख प्रति इकाई	₹21.60
18	बायो कन्ट्रोल लैब	2	₹80 लाख प्रति इकाई	₹40.00

किसान/उद्यमी उपरोक्त कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र परियोजना प्रस्ताव के साथ राज्य बागवानी मिशन, कार्यालय, पंत भवन, द्वितीय तल, बेली रोड, पटना-800001 को हाथों-हाथ अथवा निबंधित डाक से उपलब्ध करा सकते हैं। जिन किसानों/उद्यमियों ने पूर्व में भी आवेदन पत्र जिला उद्यान कार्यालय अथवा अन्य कार्यालय में दिए हों तथा कार्यदेश निर्गत नहीं किया गया हो, वे भी इसके लिए आवेदन देने हेतु पात्र होंगे। प्राप्त प्रस्तावों पर मुख्यालय स्तर पर गठित कमिटी SLEC (State Level Executive Committee) द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायेगा। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 31.10.2013 है।

आवेदन पत्र के साथ निम्न कागजातों को संलग्न करना अनिवार्य है:-

1. परियोजना प्रस्ताव हेतु विहित आवेदन प्रपत्र जिसमें आवेदक का फोटोग्राफ चिपकाया गया हो।
2. परियोजना हेतु चयनित भूमि का अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति।
3. विस्तृत परियोजना प्रस्ताव की विवरणी के साथ अनुमानित लागत का ब्योरा एवं ले-आउट प्लान।
4. ऐसे अवयव जिसका अनुमानित लागत 5.00 लाख रुपये से अधिक उसके लिए बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति प्रमाण पत्र (क्रेडिट लिंकड बैंक एन्डेड सब्सिडी आधारित परियोजना के लिए अनिवार्य)।
5. परियोजना प्रस्ताव में वर्णित प्लांट/मशीनरी का कोटेशन।
6. चेक लिस्ट के अनुरूप परियोजना प्रस्ताव उपरोक्त कागजात, स्पाइरल बाईंडिंग में।

**Note:-** इच्छुक किसान एवं उद्यमी अपने-अपने जिला के जिला उद्यान पदाधिकारी से सम्पर्क कर विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र एवं अन्य जानकारी [www.horticulture.bih.nic.in](http://www.horticulture.bih.nic.in) पर उपलब्ध है।

मिशन निदेशक,  
बिहार राज्य बागवानी मिशन,  
बिहार, पटना।